

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250826
SG-DL-E-22122023-250826असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2023/अग्राहायण 30, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 345
No. 373]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21 2023/AGRAHAYANA 30, 1945	[N. C. T. D. No. 345

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

माप एवं तौल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2023

फा, सं, 6(117) माप एवं तौल /भर्ती नियम चालक/2022/779.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0जीएसआर 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18.01.2002की फा0 सं0एफ.20(30)/96/एम.डब्ल्यू.एम/वि.मु./258, फा0 सं0एफ. 20(30)/96/एम.डब्ल्यू.एम/वि.मु./259 तथाफा0 सं0एफ.20(30)/96/एम.डब्ल्यू.एम/वि.मु./260 द्वारा जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा माप एवं तौल विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड, ग्रेड-II तथा ग्रेड-I के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (1) इन नियमों को माप एवं तौल विभाग, स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड, ग्रेड-II तथा ग्रेड-I भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-**उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-**वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव:-**इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)
2.	पदों की संख्या	:	02* (2023) परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह-ग, अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप:- आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। * यदि पदों को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के द्वारा भरा जाना है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य:- (i) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। (ii) मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना, (iii) मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); (iv) मोटर कार चालक का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो;

		वांछनीय:- होम गार्ड/नागरिक स्वयंसेवकों के रूप में 3 वर्ष की सेवा। टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप 2: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: 02 वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशनद्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: प्रतिनियुक्ति/समावेशन के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	प्रतिनियुक्ति/समावेशन : (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी। अथवा (ii) कार्यालय जहां रिक्ति है, में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रुपये 18000-56900/-) के समूह 'ग' कर्मचारियों में से; जिसके न होने पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रुपये 18000-56900/-) के समूह 'ग' कर्मचारियों में से तथा मोटर कार चलाने की सक्षमता का आंकलन करने के लिए वाहन चालक परीक्षा के आधार पर। तथा (ख) कॉलम संख्या 7 में यथानिर्धारित निम्नलिखित योग्यता तथा अनुभव रखता हो। टीप 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है; यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। टीप 2 :- प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56)वर्षों से अधिक नहीं होगी।

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (श्रम) —अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष —सदस्य 3. उप-सचिव (सेवाएं) —सदस्य टीप :- यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक ग्रेड-II
2.	पदों की संख्या	:	*02 (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह- 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रुपये 25500-81100/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति:- ग्रेड में 08 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रुपये 19900-63200/-) में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) तथा उन्होंने परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टीप :- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी

		परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (श्रम) —अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष —सदस्य 3. उप-सचिव (सेवाएं) —सदस्य टीप :- यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

अनुसूची

1.	पदनाम	स्टाफ कार चालक ग्रेड—I
2.	पदों की संख्या	*03(2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह—'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—5 (29200—92300 /—रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	पदोन्नति:— ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर—4 (रुपये 25500—81100 /—) में स्टाफ कार चालक (ग्रेड—II) अथवा स्टाफ कार चालक, ग्रेड—II तथा सामान्य ग्रेड में 13 वर्षों की संयुक्त सेवा सहित तथा उन्होंने परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टीप :- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा

			अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (श्रम) —अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष —सदस्य 3. उप-सचिव (सेवाएं) —सदस्य टीप :- यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पंकज कुमार, भा.प्र.से. नियंत्रक (माप तोल)

WEIGHTS AND MEASURES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th December, 2023

F.No. F.6(117)W&M/Recruitment Rule Driver/2022/779.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number GSR 840 dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Rules regulating the method of recruitment to the post of 'Staff Car Driver, Ordinary Grade, Grade-II and Grade-I in Weights & Measures Department, Government of National Capital Territory of Delhi, in supersession of earlier notifications issued vide No. F.20(30)/96/MWM/258, F.20(30)/96/MWM/259 & F.20(30)/96/MWM/260 dated 18.01.2002, namely: —

1. Short title and commencement: —

(i) These rules may be called the Weights & Measures Department, Staff Car Driver, Ordinary Grade, Grade-II and Grade-I, Recruitment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, their Classification and level in the pay matrix: - The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification: - No persons,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:** Where the government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultant with the Competent Authority, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:** Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	Staff Car Driver (Ordinary Grade)
2. No. of Post	02*(2023) subject to variation dependent on workload
3. Classification	General Central Service Group-C Non -Gazetted Non-Ministerial
4. Level in the Pay Matrix	Level 2 (Rs.19900-63200) of the Pay Matrix
5. Whether selection or non-selection post	Not Applicable
6. Age limit for Direct Recruits	18 – 25 years* (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. * In the case of post being filled up by all India open competition, the age limit would be between 18 years and 27 years.
7. Educational & other Qualifications required for direct recruits	Essential: (i) Pass in 10 th Standard; (ii) Possession of a valid driving license for motor cars; (iii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iv) Experience of driving a motor car for at least three years; Desirable: Three years' service as Home Guard / Civil Volunteers. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9. Period of Probation, if any	Two Years for Direct Recruits
10. Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation/absorption failing which by direct recruitment
11. In case of Recruitment by promotion / deputation/ absorption	Deputation/Absorption: (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department. Or (ii) From amongst Group C employees in Level 1 (Rs.18000-56900) in Pay Matrix with three years of regular service in the office where vacancy arises,

	failing which from Group C employees in Level 1 (Rs.18000-56900) in Pay Matrix with three years of regular service in Central Government / State Government / UT Territories and on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars. And (b) possessing the following qualification and experience as prescribed in column No.7. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.
12. If a DPC exists, what is its composition	Group 'C' DPC (for considering promotion /confirmation 1. Pr. Secretary/Secretary, (Labour)- Chairman 2. Head of the Department concerned- Member 3. Dy. Secretary (Services)- Member Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified chairman of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of Departmental Confirmation Committee.
13. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

SCHEDULE

1. Name of the post	Staff Car Driver Grade-II
2. No. of Post	02* (2023) *subject to variation dependent on workload
3. Classification	General Central Service Group-C Non -Gazetted Non-Ministerial
4. Level in the Pay Matrix	Level 4 (Rs.25500-81100) of the Pay Matrix
5. Whether selection or non-selection post	Non-Selection
6. Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7. Educational & other Qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9. Period of Probation, if any	Not Applicable
10. Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Promotion
11. In case of Recruitment by promotion / deputation/ absorption	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Level 2 (Rs.19900-63200) of the Pay Matrix with 08 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Transport Department, GNCTD.

	Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.
12. If a DPC exists, what is its composition	Group 'C' DPC (for considering promotion) 1. Pr. Secretary/ Secretary, (Labour)- Chairman 2. Head of the Department concerned- Member 3. Dy. Secretary (Services)- Member Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified chairman of the Departmental Promotion Committee / Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of Departmental Promotion Committee.
13. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

SCHEDULE

1. Name of the post	Staff Car Driver Grade-I
2. No. of Post	03* (2023) *subject to variation dependent on workload
3. Classification	General Central Service Group-C Non -Gazetted Non-Ministerial
4. Level in the Pay Matrix	Level-5 (Rs.29200 -92300) of the Pay Matrix
5. Whether selection or non-selection post	Non-Selection
6. Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7. Educational & other Qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9. Period of Probation, if any	Not Applicable
10. Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Promotion
11. In case of Recruitment by promotion / deputation/ absorption	Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) in the Pay Level 4 (Rs.25500-81100) of the Pay Matrix with 5 years of regular service in the Grade or with a combined service of 13 years in Staff Car Driver, Grade-II and Ordinary Grade and have passed trade test, specified by the Transport Department, GNCTD. Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by

	<i>more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.</i>
12. If a DPC exists, what is its composition	Group 'C' DPC (for considering promotion) 1. Pr. Secretary/Secretary, (Labour)- Chairman 2. Head of the Department concerned- Member 3. Dy. Secretary (Services)- Member Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified chairman of the Departmental Promotion Committee / Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of Departmental Promotion Committee.
13. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,

PANKAJ KUMAR, IAS Controller (LM)